

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-ri@nic.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ख)(आर-34/2008) / अलेसे-11/2345-2357 दिनांक:- 07-03-17

कार्यालय आदेश

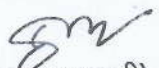
पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 262-65 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर से प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 35/2017 दिनांक 23.02.2017 संलग्न कर अवगत करवाया है कि कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत श्री रामकरण मीणा, स.ले.अ.ग्रेड-11 को 7000/ रुपये की रिश्वत मांगकर प्राप्त करने पर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 21.02.2017 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इनके विरुद्ध अपराध संख्या 35/2017 दर्ज कर पंजीबद्ध किया जाकर श्री मीणा के निलंबन की अनुशंसा की है।

अतः श्री मीणा, स.ले.अ.ग्रेड-11 को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 21.02.2017 से सीसीए नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिनांक 21.02.2017 से निलंबित किया जाता है। श्री मीणा को निलंबन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री मीणा का मुख्यालय कोषालय, चित्तौड़गढ़ किया जाता है तथा वे नियमित रूप से निलंबन काल में कोषालय, चित्तौड़गढ़ में उपस्थिति दर्ज करेंगे।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ख)(आर-34/2008) / अलेसे-11/2345-2357 दिनांक:- 07-03-17
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. जिला कार्यक्रम समन्वय (इजीएस), जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 262-35 दिनांक 23.02.2017 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री मीणा के विरुद्ध प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छोटीसादडी, प्रतापगढ़।
7. कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
9. श्री रामकरण मीणा, स.ले.अ. ग्रेड-11 (निलंबित) कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छोटीसादडी, प्रतापगढ़।
10. कम्प्यूटर विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
11. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)